

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं० सं०-2/सांवि०पदा०-190/2024- / स्वा०, पटना, दिनांक / / 2025

डा० अंजली सिन्हा, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, खुशरूपुर, पटना के द्वारा दिनांक-01.01.2024 से 31.03.2024 तक कुल-91 (एकानब्बे) दिन उपभोगित अवधि को वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1034(25), दिनांक-21.05.2025 से प्राप्त अवकाश आदेयता एवं वित्त विभागीय पत्रांक-9889, दिनांक-01.12.2015 के आलोक में शिशु देखभाल अवकाश के रूप में प्रयोजित किया जाता है। उपभोगित अवकाश को घटाने के पश्चात डा० सिन्हा को 639 (छ. सौ उनचालीस) दिन शिशु देखभाल अवकाश आदेय रह जाता है।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(शैलेश कुमार)

सरकार के विशेष सचिव

पत्रांक-2/सांवि०पदा०-190/2024-

1386/2

पटना, दिनांक 5/8/2025

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०) विहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पटना/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, खुशरूपुर, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: जिला कोषागार पदाधिकारी, पटना/डा० अंजली सिन्हा, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, खुशरूपुर, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव